न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 15/2021/अपील

पेमाराम पुत्र दोलाराम, जाति जाट, निवासी स्वामी की ढ़ाणी,
तहसील फतेहपुर, जिला सीकर (राज.)

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार फतेहपुर, जिला सीकर (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–

1. श्री नसीर अहमद खान, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

अपील विरूद्ध तहसीलदार फतेहपुर की पत्रावली संख्या 13/2019 सरकार बनाम पेमाराम अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट निर्णय दिनांक 12.10.2021

निर्णय

दिनांकः 04 सितम्बर, 2025

1. अपीलांट **पेमाराम** की ओर से यह अपील वकील **श्री नसीर अहमद खान** द्वारा **तहसीलदार फतेहपुर की पत्रावली संख्या 13/2019 सरकार बनाम पेमाराम अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट निर्णय दिनांक 12.10.2021** के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैंः–

(1) परिवादी पेमाराम पुत्र दोलाराम जाति जाट निवासी स्वामी की ढाणी, तहसील फतेहपुर जिला सीकर (राज.) के पुराने खसरा नम्बर 87 रकबा 16.46 चारागाह में 0.01 हैक्टेयर पर कच्चा मकान, टीनशेड व तारबन्दी करके अतिक्रमण करने बाबत शिकायत प्राप्त होने पर पटवारी हल्का दांतरू द्वारा उक्त अतिक्रमण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 दर्ज कर अतिक्रमी को जरिये सम्मन तलब कर सुनवाई हेतु अवसर दिया जाकर सुना गया। परिवादी/अपीलांट पेमाराम द्वारा प्रकरण की सुनवाई में तहसीलदार फतेहपुर

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

क्रमांक 693 दिनांक 19.12.1976 के द्वारा जारी किया गया विवेचित पट्टा जो कि परिवादी/अपीलांट के पिता दोलाराम पुत्र खींवाराम के नाम जारी किया गया है की प्रति पेश की गई। दोलाराम पुत्र खींवाराम की मृत्यु हो चुकी है। उक्त पट्टेशुदा भूमि पर दौलाराम पुत्र खींवाराम के वारिस आवासरत हैं, तथा उक्त भूमि अतिक्रमिक स्थल से पृथक एवम् अन्यत्र है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवम् निर्णय तहसीलदार फतेहपुर दिनांक 29.02.2016 के अनुसार परिवादी का अतिक्रमण किया हुआ स्थल एवं वर्णित पट्टा दिनांकित 19.12.1978 पृथक–पृथक स्थल हैं। परिवादी द्वारा अन्य कोई विधिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर धारा 91 एल.आर. एक्ट के अनुसार अतिक्रमी को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किये जाने के आदेश दिनांक 29.02.2016 को प्रसारित किये गये। मुताबिक निर्णय/आदेश बेदखली के अतिक्रमी को दिनांक 03.03.2016 को अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.02.2016 के विरूद्ध परिवादी पेमाराम पुत्र दोलाराम द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर सीकर में अपील (प्रकरण संख्या 17/2016) प्रस्तुत की गई है जिसमें न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा दिनांक 04.12.2017 को निर्णय पारित किया जिसमें अंकित किया गया है कि, **"अधीनस्थ नायब तहसीलदार फतेहपुर का आदेश दिनांक 29.02.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार फतेहपुर को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट की पैतृक पट्टेशुदा भूमि का सीमाज्ञान करवाते हुए संदर्भित विवादित भूमि का दो माह की अवधि में विधि सम्मत निस्तारण करें।"** न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 04.12.2017 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर परिवादी/अपीलान्ट पेमाराम पुत्र दोलाराम जाति जाट को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाकर प्रकरण की सम्यक जांच की गई। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फतेहपुर द्वारा दिनांक 28.02.2018 को निर्णय पारित किया गया, जिसमें पेमाराम पुत्र दोलाराम जाति जाट निवासी स्वामी की ढ़ाणी के कब्जे को अवैध मानकर अतिक्रमण किया जाना बताते हुए न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा इस प्रकरण में पूर्व में पारित निर्णय दिनांकित 29.02.2016 की क्रियान्विति एवम् इजराय कार्यवाही पूर्ण होने की पुष्टि होने के आदेश दिये गये हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

(3) प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फतेहपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 28.02.2018 से क्षुब्ध होकर परिवादी/अपीलान्ट पेमाराम पुत्र दौलाराम ने पुनः एक अपील न्यायालय जिला कलक्टर सीकर में (प्रकरण संख्या 53/2018) प्रस्तुत की गई है जिसमें न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा दिनांक 22.10.2019 को निर्णय पारित किया जिसमें **प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फतेहपुर को प्रतिप्रेषित कर अपीलांट के पिता के नाम से जारी पट्टे की भूमि से तथाकथित अतिक्रमण की भूमि की दूरी तथा अपीलांट की माता शांतिदेवी के नाम से जारी पट्टे की भूमि से दूरी के सम्बन्ध में सम्पूर्ण परीक्षण कर सम्बन्धित विभागों की समस्त जानकारी प्राप्त कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर एक माह के भीतर निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।** न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 22.10.2019 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर परिवादी/अपीलान्ट पेमाराम पुत्र दोलाराम जाति जाट को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाकर प्रकरण की सम्यक जांच की गई। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फतेहपुर द्वारा दिनांक 12.10.2021 को निर्णय पारित किया गया, जिसमें आदेश दिये गये हैं कि, **"अपीलांट/परिवादी पेमाराम/दौलाराम द्वारा चारागाह भूमि में किया गया अतिक्रमण अवैध है जिसे मुताबिक निर्णय दिनांक 22.02.2016 द्वारा हटाये जाने के आदेश की पुष्टि की जाती है।"**

(4) अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये अपीलीय न्यायालय हाजा के निर्देशों की पूर्णतः अवहेलना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अपील पेश की जा रही है।

(5) पटवारी हल्का द्वारा मौके की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है, जो पूर्णतः गलत तथ्यों पर आधारित है। न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 04.12.2017 में यह स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया था कि अपीलान्ट की पट्टेशुदा भूमि का सीमाज्ञान करवाते हुए विवादित भूमि का दो माह में निस्तारण करें परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश एवम् निर्देश की पालना किये बगैर ही निर्णय पारित कर दिया गया और अपीलान्ट का अपने पिता दोलाराम के समय से चले आ रहे पट्टाशुदा कब्जे को अतिक्रमण बता दिया। हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा अपीलान्ट की पैतृक पट्टेशुदा भूमि को आईडेन्टीफाईड किये बगैर ही अपीलान्ट को अतिक्रमी मान लिया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

(6) अपीलान्ट के पिता दोलाराम के नाम से तहसीलदार फतेहपुर द्वारा क्रमांक 693 दिनांक 19.12.1978 को पट्टा जारी किया गया था, जिसका कोई विवाद नहीं है। अपीलान्ट के पिता के नाम से जारी पट्टा 30 साल से पुराना दस्तावेज है जिसके सही होने की कानून में उपधारणा की जाती है। पट्टेशुदा भूमि में यदि आसे पासे अंकित नहीं हैं तो ऐसी सूरत में अपीलान्ट का अपने पिता के समय से चले आ रहे कब्जे की जगह को पट्टेशुदा भूमि मान्य किया जाना चाहिए, क्योंकि कब्जा अपीलान्ट के पिता के जीवनकाल से ही बना हुआ है, जिसे अतिक्रमण बता दिया गया है। पट्टेशुदा भूमि पर अपीलान्ट के पिता का कब्जा था और उसके आधार पर उसे पट्टा दिया गया था।

(7) वादग्रस्त भूखण्ड का दोलाराम पुत्र खींवाराम का पट्टा सन् 1978 में जारी किया हुआ है। दौलाराम अपीलान्ट का पिता है। उक्त पट्टा खसरा नम्बर 359/1 में 755 वर्गगज का दिया हुआ है। उक्त पट्टा तहसीलदार फतेहपुर द्वारा विधिवत रूप से जारी किया हुआ है। इसके अलावा पट्टा संख्या 37 ग्राम पंचायत दांतरू द्वारा स्वामी की ढाणी में 150 वर्गगज का पट्टा दिनांक 29.01.1975 को अपीलान्ट की माता शांति देवी के नाम जारी किया हुआ है। उक्त दोनो पट्टे विधिवत रूप से शुल्क लेकर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये हुए हैं।

(8) हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकन नहीं है कि जो नाजायज कब्जा बताया गया है वह पट्टेशुदा जमीन से अलग है तथा ना ही इस संदर्भ में पटवारी द्वारा कोई साक्ष्य पेश किया गया है और ना ही बताया है कि अपीलान्ट के पिता के नाम से जारी पट्टा की भूमि कौनसी है और तथाकथित नाजायज कब्जा बताया गया है वह उससे कितनी दूरी पर है तथा शांति देवी के नाम से जारी पट्टे से कितनी दूर है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(9) अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.10.2021 का है जिसकी जानकारी प्रार्थी को नहीं हो सकी थी। जानकारी होने पर अपीलान्ट ने दिनांक 12.11.2021 से पहले ही नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था परन्तु राज्य व्यापी अभियान प्रशासन गांवो के संग चल रहे होने के कारण से अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की नकल दिनांक 06.12.2021 को प्राप्त हुई है। इसलिए नकल प्राप्त होने से अपील अन्दर मियाद पेश है फिर भी नकल प्राप्त

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

होने में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में लगे समय व अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किये जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन अलग से पेश किया जा रहा है।

(10) अतः अपीलान्ट की ओर से अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

3. हमने वकील अपीलांट की बहस सुनी।

वकील अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि, अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये अपीलीय न्यायालय के निर्देशों की पूर्णतः अवहेलना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 04.12.2017 में यह स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया था कि अपीलान्ट की पट्टेशुदा भूमि का सीमाज्ञान करवाते हुए विवादित भूमि का दो माह में निस्तारण करें। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश एवम् निर्देश की पालना किये बगैर ही निर्णय पारित कर दिया गया और अपीलान्ट का अपने पिता दोलाराम के समय से चले आ रहे पट्टाशुदा कब्जे को अतिक्रमण बता दिया। वादग्रस्त भूखण्ड का दोलाराम पुत्र खींवाराम का पट्टा सन् 1978 में जारी किया हुआ है। दौलाराम अपीलान्ट का पिता है। उक्त पट्टा खसरा नम्बर 359/1 में 755 वर्गगज का दिया हुआ है। उक्त पट्टा तहसीलदार फतेहपुर द्वारा विधिवत रूप से जारी किया हुआ है। इसके अलावा पट्टा संख्या 37 ग्राम पंचायत दांतरू द्वारा स्वामी की ढाणी में 150 वर्गगज का पट्टा दिनांक 29.01.1975 को अपीलान्ट की माता शांति देवी के नाम जारी किया हुआ है। उक्त दोनो पट्टे विधिवत रूप से शुल्क लेकर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये हुए हैं। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकन नहीं है कि जो नाजायज कब्जा बताया गया है वह पट्टेशुदा जमीन से अलग है तथा ना ही इस संदर्भ में पटवारी द्वारा कोई साक्ष्य पेश किया गया है और ना ही बताया है कि अपीलान्ट के पिता के नाम से जारी पट्टा की भूमि कौनसी है और जो तथाकथित नाजायज कब्जा बताया गया है वह उससे कितनी दूरी पर है तथा शांति देवी के नाम से जारी पट्टे की भूमि से कितनी दूर है। न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.10.2019 में प्रकरण अधीनस्थ

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

न्यायालय तहसीलदार फतेहपुर को प्रतिप्रेषित कर अपीलांट के पिता के नाम से जारी पट्टे की भूमि से तथाकथित अतिक्रमण की भूमि की दूरी तथा अपीलांट की माता शांतिदेवी के नाम से जारी पट्टे की भूमि से दूरी के सम्बन्ध में सम्पूर्ण परीक्षण कर सम्बन्धित विभागों की समस्त जानकारी प्राप्त कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर एक माह के भीतर निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये अपीलीय न्यायालय के निर्देशों की पूर्णतः अवहेलना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.10.2021 निरस्त फरमाया जावे।

4. हमने वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट हैं–

- घासीराम पुत्र नरसाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम स्वामी की ढ़ाणी तहसील फतेहपुर द्वारा पेश की गई शिकायत के आधार पर पटवारी हल्का दांतरू द्वारा पेमाराम पुत्र दोलाराम जाति जाट द्वारा ग्राम स्वामी की ढ़ाणी के खसरा नम्बर 87 कुल रकबा 16.46 हैक्टेयर किस्म चारागाह में से रकबा 0.01 हैक्टेयर पर एक कमरा मय टिन सेड व तारबंदी कर नाजायज कब्जा/अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2016 पेश की गई है, जिसकी कैफियत में अंकित किया गया है कि, **"पेमाराम को दिनांक 05.02.2016 को पाबंद करने के बावजूद उसने 10.02.2016 को पक्का कमरा निर्माण कर मय तारबंदी के 0.01 हैक्टेयर पर नाजायज कब्जा कर लिया है।"** हल्का पटवारी दांतरू द्वारा अपीलांट पेमाराम को निर्माण नहीं करने बाबत पाबंद किये जाने की रिपोर्ट दिनांक 05.02.2016 एवं पाबंद किये जाने के बावजूद निर्माण कार्य किये जाने की रिपोर्ट दिनांक 11.02.2016 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है।

- पटवारी हल्का दांतरू द्वारा अपीलांट पेमाराम के पिता दोलाराम पुत्र खींवाराम जाति जाट निवासी स्वामी की ढ़ाणी के नाम जारी पट्टे की जांच रिपोर्ट दिनांक 25.02.2016 में अंकित किया गया है कि, **"दोलाराम पुत्र खींवाराम की मृत्यु हो गई है उसके द्वारा बनवाये गये पट्टे पर उसके पुत्रगण पिछले कई वर्षों से चारागाह भूमि पर मकान बना कर बसे हुए हैं। वर्तमान में जो नया कब्जा किया गया है वो जगह इस पट्टे से मेल नहीं खाती है।"**

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

- इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.2016, 28.02.2018 एवं 12.10.2021 द्वारा निर्णय पारित किये गये हैं। उक्त पारित तीनों निर्णयों में अपीलांट द्वारा किये गये कब्जे को अवैध मानकर अतिक्रमण बताया गया है। उक्त पारित निर्णयों की अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में पेश किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दो बार क्रमशः 04.12.2017 एवं 22.10.2019 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है। अब पुनः अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.10.2021 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में पेश की है। **ऐसी स्थिति में यह देखा जाना आवश्यक है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्देशों की पालना करते हुए निर्णय पारित किये गये हैं अथवा नहीं एवं अपीलांट द्वारा भी समुचित साक्ष्य दस्तावेज आदि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं अथवा नहीं।**

- अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बार–बार हल्का पटवारियान एवं भू.अ.नि. से प्रकरण से सम्बन्धित समुचित जांच करवायी गई हैं। जिसमें अपीलांट को अतिक्रमी पाया गया है। प्रकरण में अपीलांट को सुनवायी के भी समुचित अवसर दिये गये हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उनमें पारित आदेशों से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों क्रमशः **"अपीलांट की पैतृक पट्टेशुदा भूमि का सीमाज्ञान करवाते हुए संदर्भित विवादित भूमि का विधिसम्मत निस्तारण"** तथा **"अपीलांट के पिता के नाम से जारी पट्टे की भूमि से तथाकथित अतिक्रमण की भूमि की दूरी तथा अपीलांट की माता शांतिदेवी के नाम से जारी पट्टे की भूमि से दूरी के सम्बन्ध में सम्पूर्ण परीक्षण कर सम्बन्धित विभागों की समस्त जानकारी प्राप्त कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण"** की समुचित पालना किये गये बगैर ही अपना निर्णय दिनांक 12.10.2021 पारित किया गया है।

- अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न हल्का पटवारी दांतरू एवं भू.अ.नि. बिराणियां की समेकित फर्द मौका रिपोर्ट दिनांकित 23.01.2018 में अंकित किया गया है कि, **"गांव स्वामी की ढ़ाणी की आबादी भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 1.66 हैक्टेयर में खसरा नम्बर 28 के पास दौलाराम पुत्र खींवाराम की पुरानी गुवाड़ी (मकान) थी जिस पर वर्तमान समय में दौलाराम का पुत्र हीराराम व छोटूराम आज भी आबाद है। अपीलांट अतिक्रमी खसरा नम्बर 18 एवं 17 रकबा क्रमशः 0.08 हैक्टेयर एवं 8.80 हैक्टेयर की पैतृक खातेदारी के खेत पर आवासीय मकान बना**

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

कर निवास कर रहा है जिसकी सीमा (दक्षिणी) खसरा नम्बर 87 से लगती है। इस खसरा नम्बर 87 पर पेमाराम अपीलांट आवासीय मकान के सामने ईंट, पत्थर, पशुधन तथा पेड़ पौधे लगाकर कब्जा किया हुआ है।" चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के कथनानुसार अपीलांट के पास वर्तमान खसरा नम्बर 87 में उसके पिता एवं माता के नाम जारी किया गया पट्टा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध समस्त जांच रिपोर्टों में कहीं पर भी पट्टेशुदा भूमियों के नापजोक की कार्यवाही किये जाने का अंकन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय यदि यह स्वीकार करता है कि अपीलांट के तथाकथित पट्टे सही हैं, तो पट्टेशुदा भूमियों का नापजोक करवाये बिना अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया जाना उचित अथवा न्यायिक नहीं है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट **आंशिक स्वीकार** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फतेहपुर का निर्णय दिनांक 12.10.2021 अपास्त किया जाकर मूल प्रकरण तहसीलदार फतेहपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 04.12.2017 एवं 22.10.2019 में दिये गये निर्देशों की समुचित पालना करते हुए कानून में वर्णित नियमों के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को सुनवाई के समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

6. निर्णय आज दिनांक **04 सितम्बर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलक्टर, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर,सीकर